राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

2025/41

किस्म मुकदमा	नंबर मुकदमा	तारीख दायर	तारीख फैसला	पेशी दिनांक
1	2	3	4	5
111-128 प्रार्थना-पत्र	24/25 24/25	19/2/25		10/3/25 17/3/25 24/3/25

DN/

अनवान

श्री शान्तिलाल पुत्र रामभूलाल श्री मोडूलाल पुत्र तुलछा

निवासी [illegible] निवासी [illegible]

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी/ रेस्पोडेंट

डिक्रीदार मदयून

श्री R. D. श्री

FORM NO. III

फर्द अहकम

Crim I

नियम 26

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां, भीलवाड़ा

शान्तिलाल बनाम मोडूलाल

किस्म मुकदमा 111-128 प्रकरण संख्या 24 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/2/2025	प्रार्थना–पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों की तलबी जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना–पत्र, विपक्षीगणों को भेजी जावें। पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 10/3/2025 को वास्ते तलबी / जवाब पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	तामील उप
10/3/25	पत्रावली पेश [illegible] वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान [illegible] दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 17/3/25 [illegible] पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
17/3/25	पत्रावली पेंश हुइ। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान PO [illegible] दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 24/3/25 का [illegible] पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
24/3/25	पत्रावली पेश हुई। समस्त विपक्षीगण की बाद तामील प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी बाद सूचना अनुपस्थित रहे। विपक्षीगणों को 3 बार आवाज लगाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली में विपक्षीगणों के विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित किए गए। आदेश के पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे। पत्रावली कुनल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 24/25 तारीख 19/2/25

01. शांतिलाल पुत्र शंभुलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सुखपुरा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

02. सीतादेवी पत्नि शंभुलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सुखपुरा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

............प्रार्थीगण

बनाम

01. मोडूलाल पुत्र तुलछा जाति रेगर उम्र वयस्क उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी कांस्या तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

02. डूंगालाल पुत्र भारमल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

............विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

-: आदेश :- दिनांक: 24/3/25

प्रार्थना पत्र हम/मैं **शांतिलाल पुत्र शंभुलाल, सीतादेवी पत्नि शंभुलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सुखपुरा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)** ने जरिये अभिभाषक **श्री रामफूल धाकड** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते **मौजा बिजौलियांखुर्द पटवार हल्का बिजौलियांखुर्द में स्थित खाता संख्या 752 पर अंकित आराजी संख्या 345, 346, 347 कुल किता 03 रकबा 2.1853 हैक्टेयर भूमि** पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक **बिजौलियां खुर्द** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फिस वक्त मौका प्रार्थीगण अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर **मौजा बिजौलियांखुर्द पटवार हल्का बिजौलियांखुर्द में स्थित खाता संख्या 752 पर अंकित आराजी संख्या 345, 346, 347 कुल किता 03 रकबा 2.1853 हैक्टेयर भूमि** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला–भीलवाड़ा

यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या – २५/25 तारीख 13/2/25

प्रेषिति :–

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :–प्रकरण संख्या ....25........./ 2025 पत्थरगढ़ी बाबत्।

01. शांतिलाल पुत्र शंभुलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सुखपुरा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
02. सीतादेवी पत्नि शंभुलाल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सुखपुरा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

............प्रार्थीगण

बनाम

01. मोडूलाल पुत्र तुलछा जाति रेगर उम्र वयस्क उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी कांस्या तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
02. डूंगालाल पुत्र भारमल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

............विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि **मौजा बिजौलियांखुर्द पटवार हल्का बिजौलियांखुर्द में स्थित खाता संख्या 752 पर अंकित आराजी संख्या 345, 346, 347 कुल किता 03 रकबा 2.1853 हैक्टेयर भूमि** की वशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षकर **बिजौलियां खुर्द** को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस वक्त मौका प्रार्थीगण अदा करे। पत्थरगढी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडोसियान को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें। पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला–भीलवाडा